Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(61)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पृथ्वीराज पुत्र भानीराम जाति मेघवाल निवासी 10 सरकारी तहसील श्रीविजयनगर आदि

बनाम

नत्थूराम पुत्र लक्ष्मणराम पुत्र नवली बेवा भरथाराम जाति मेघवाल साकिन 10 सरकारी हाल नाहरावाली ढावा तहसील अनूपगढ़ आदि

किस्म मुकदमा —अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.—107 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.04.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है। अपीलांट दिनांक 24.07.2017 को जैर प्रकरण रकबा की जमाबंदी लेने पटवारी हल्का के पास गया तब अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तब बिना देरी किये अपील पेश कर दी गई। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर रेस्पोडेंटगण के अधिवक्तागण ने कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता भानीराम पुत्र भरताराम जाति मेघवाल को चक 8 जीबी के पत्थर न. 134 / 388 के किला न. 1, 3, 6, 8 ता / सालम, 12 / 10, 19 ता 22 / सालम इस प्रकार कुल 12.10 बीघा यानी 3.162 है0 रकबा कस्टोडियन आवंटन हुआ था। उक्त रकबा की तमाम किश्तो की राशि 2636.72 व ब्याज राशि 927.33 रूपये कुल 3564.05 रूपये की राशि दिनांक 11.10.1955 से लेकर 28.06.2017 तक भिन्न भिन्न तारीखों में भिन्न भिन्न चालान नम्बरान से अपीलांट के पिता भानीराम ने जमा करवा दी थी। इस रकबा की खातेदारी सनद कमांक 3528 दिनांक 06.07.1989 को अपीलांट के पिता भानीराम के नाम से ही जारी हुई थी जिसकी पुष्टि जिला पुनर्वास एवं प्रबंधक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1463 दिनांक 01.04.2016 से की है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रकबा अपीलांट के पिता भानीराम के नाम से कस्टोडियन आवंटी दर्ज चला आ रहा था। आवंटन के समय आवंटी भानीराम के परिवार के सदस्यों में अपीलांट की दादी नवली (भानीराम की माता), अपीलांट की माता बोगी देवी (भानीराम की पत्नी) एवं भानीराम स्वयं इस प्रकार कुल तीन सदस्य थे। अपीलांट के पिता भानीराम का देहान्त दिनांक 11.11.2003 को हो जाने के पश्चात रकबा अपीलांट व अपीलांट की माता बोगी देवी के नाम से दर्ज चला आ रहा है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में इस खातेदारी सनद का इंतकाल दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इस खातेदारी सनद के इंतकाल में अपीलांटगण की दादी नवली के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि जैर प्रकरण रकबा केवल भानीराम को कस्टोडियन आवंटन करते समय नवली को केवल परिवार का सदस्य बताया गया था। नवली के नाम उक्त रकबा कतई आवंटन नहीं हुआ था तथा ना ही उक्त आवंटन आदेश में नवली का कोई हिस्सा था तथा ना ही नवली ने कोई किश्त जमा करवाई थी। नवली दिनांक 21.08.1994 को ही फौत हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत जैर अपील इंतकाल संख्या 306 स्वीकृत दिनांक 16.06.2016 में अपीलांट की दादी नवली के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा का इंतकाल निरस्त करते हुए तमाम करबा अपीलांटगण के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान करे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 श्री अशोक छाबड़ा ने दौराने बहस अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि जैर प्रकरण रकबा भानीराम व उसकी माता नवली के नाम से आवंटन था। [illegible] का नाम खातेदारी सनद में भी दर्ज है। उक्त खातेदारी सनद के आधार पर ही इंतकाल दर्ज किया है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील इंतकाल यथावत रखा जावे।	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6/1/1 ता 6/1/4 , 6/2 ता 6/7/1, 8/1, 9/1/1 ता 9/1/5, 9/2 ता 9/4, 9/5/1 ता 9/5/2 श्री धर्मपाल सिहाग ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि जैर प्रकरण रकबा केवल भारीराम पुत्र भरताराम को ही आवंटन हुआ था। भानीराम की माता नवली उस समय भीनीराम के साथ रहती थी। इसलिए केवल परिवार का सदस्य होने से नवली का नाम उक्त रकबा का 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील इंतकाल पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर ही स्वीकृत किया गया है। पैरोकार राज ने अपील अपीलांट निरस्त करने तथा अपीलाधीन आदेश रखने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। चक 8 जीबी के पत्थर न. 134/388 के किला न. 1, 3, 6, 8 ता/सालम, 12/10, 19 ता 22/सालम इस प्रकार कुल 12.10 बीघा यानी 3.162 है0 रकबा भानीराम पुत्र भरताराम को कस्टोडियन नोनक्लेमेंट में आवंटन हुआ था। आवंटन आदेश के ऐनेक्चर –I तथा III में भी भानी पुत्र भरता के साथ ही सरकार का इकरार हुआ है। कार्यालय मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबीलाईटेशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्ड़िया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भानी पुत्र भरता जाति मेघवाल ही अलॉटी है। भानी के परिवार में अन्य सदस्यों में भानीराम की माता नवली व पत्नी बोगी का नाम दर्ज है तथा इस रकबा की तमाम किश्तो की राशि के चालान भी भानीराम के नाम दर्ज है तथा किश्तों की राशि भी भानीराम ने जमा करवाई है। यहां तक की कार्यालय प्रबंधक अधिकारी (निष्क्रांत सम्पति) श्रीगंगानगर के कमांक 638 दिनांक 29.12.1971 द्वारा शेष राशि जमा करवाने हेतु भानीराम को नोटिस दिया गया है। उक्त शेष राशि भी भानीराम द्वारा जमा करवाई गई है। उक्त खातेदारी सनद संख्या 3528 दिनांक 06.07.1989 का इंतकाल दर्ज करने से पूर्व तहसीलदार (भू.अ.), श्रीविजयनगर ने पत्रांक भू.अ./15/6197 दिनांक 15.12.2015 द्वारा प्रभारी अधिकारी (पुर्नवास), कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को उक्त सनद की पुष्टि हेतु पत्र लिखा। जिसकी पुष्टि जिला पुनर्वास एवं प्रबंधक अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1463 दिनांक 01.04.2016 से की है। जैर अपील इंतकाल के अवलोकन से पाया कि उक्त इंतकाल में कटींग करते हुए उक्त 12.10 बीघा रकबा में से नवली बेवा भरताराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया है। उक्त इंतकाल दर्ज करने से पूर्व जमाबंदियों में उक्त रकबा भानीराम के वारिसान अपीलांट व उनकी माता बोगी पत्नी भानीराम के नाम रकबा दर्ज चला आ रहा था। जैर अपील इंतकाल केवल भानीराम के वारिसों के नाम से ही दर्ज एवं स्वीकृत होना था। इसलिए जैर अपील इंतकाल में से नवली बेवा भरथा के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा तक की हद का इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का चक 8 जीबी के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 306 स्वीकृत दिनांक 16.06.2016 में नवली बेवा भरथा के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा तक का इंतकाल निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जैतसर को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कार्यालय जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबंधक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी खातेदारी सनद संख्या 3528 दिनांक 06.07.1989 के अनुसरण में जेर अपील रकबा का इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जैतसर को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। उभय पक्ष दिनांक 04-05-2022 को अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त, जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner